

मैनुअल-12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएँ ।

● कार्यक्रम/योजना का नाम	-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005
● कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा	-	2 फरवरी 2006 से (23 जिलों में)
● कार्यक्रम का उद्देश्य	-	प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क अकुशल इच्छुक को पूरे वर्ष में 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराना ।
● कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	-	नई योजना है ।
● लाभार्थी की पात्रता	-	अकुशल इच्छुक वयस्क मजदूर ।
● पूर्वपेक्षाएं	-	
● अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	-	मजदूरी का शत प्रतिशत केन्द्र सरकार से प्राप्त एवं अनियोजन भत्ता राज्य सरकार द्वारा इच्छुक अकुशल मजदूर ।
● पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड	-	इच्छुक अकुशल मजदूर ।
● दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	-	
● अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	-	50 प्रतिशत पंचायत 30 प्रतिशत पंचायत समिति एवं 20 प्रतिशत जिला परिषद् ।
● आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें	-	पंचायत में सम्पर्क करें ।
● अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)	-	शुन्य ।
● आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तौ कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएँ कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)	-	विहिप प्रपत्र ।
● संलग्नकों की सूची	-	ग्रामीण विकास विभाग में उपलब्ध है ।

●	संलग्नकों की प्रारूप	-	
●	प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें	-	पंचायत समिति, जिला परिषद् एवं जिलाधिकारी ।
●	उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)	-	
●	लाभार्थियों की सूची (निम्न दिये गये प्रारूप पर)	-	पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर ।

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	बल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गाँव	मकान नं०